

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2012

विषय: तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्य कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि प्रदेश में आने वाली तीव्र बाढ़ से कतिपय जनपदों में बहने वाली नदियों के पानी के तेज बहाव के कारण कभी—कभी नदियों के तट पर स्थित गांव के गांव नदियों में बह जाते हैं जिससे ग्रामवासियों के समक्ष आवास एवं आजीविका की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाय।

2— उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम—1950 की धारा—122(ग) में आवास स्थल आवंटन, धारा—122(ग)(3) में आवंटन हेतु वरीयता और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली—1952 के नियम 115ठ से 115प में आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था विहित है। साथ ही उत्तर प्रदेश फ्लड इमरजेंसी पावर्स (इवैकुएसन एवं रिक्वीजीसन) अधिनियम 1951 की धारा—3 एवं 4 में अस्थायी इवैकुएसन एवं बसाव की व्यवस्था तो की गयी है, किन्तु स्थायी इवैकुएसन एवं बसाव की व्यवस्था नहीं है।

3— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय तीव्र बाढ़ के कारण नदियों के प्रवाह बदलने से ग्रामों में स्थित/नदियों के तट पर रिहायशी भूमि के अधिकांश भू—भाग नष्ट हो जाने के फलस्वरूप ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापित

किये जाने हेतु उपयुक्त, निकटतम उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में ही, भूमि का क्य कर निःशुल्क भूमि आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4— निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:—

- (1) इस निमित्त न्यूनतम आवश्यकतानुसार भूमि का आवंटन प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को किया जायेगा।
- (2) आंवटन का अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा तथा आंवटी द्वारा उस भूमि का कोई लगान नहीं दिया जायेगा।
- (3) अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर का आवासस्थल आवंटन निकटतम उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा।
- (4) जिस व्यक्ति को आवास स्थल आंवटित किया जाये उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह आंवटन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर मकान बना ले और उसमे रहना या उसे काम मे लाना प्रारम्भ कर दें।
- (5) यदि उक्त निर्धारित अवधि में लाभार्थी द्वारा वह मकान नहीं बनाया जाता है, निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इस प्रकार बनाये गये मकान का उपयोग नहीं किया जाता है और भिन्न प्रयोजन के लिए मकान का प्रयोग किया जाता है तो आवंटित भूमि/स्थल पर लाभार्थी के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और भूमि प्रबन्धक समिति उस भूमि/स्थल को अपने अधिकार में ले लेगी।
- (6) लाभार्थी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति मे मकान बनाने के लिए निर्दिष्ट उक्त तीन वर्ष की समय सीमा लागू नहीं होगी।
- (7) लाभार्थियों की पाव्रता निर्धारण हेतु प्राथमिकता (Preference) निम्नवत् होंगी :—

- (i) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान—क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार—
  - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति,
  - (ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति
  - (ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति
- (ii) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्राम का कारीगर जो गांव में रहता हो
- (iii) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति—
  - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति,
  - (ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति

- (ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति
- (iv) कोई विकलांग व्यक्ति जो गांव में रहता हो।
- (v) सामान्य श्रेणी के सभी व्यक्ति/परिवार जो विस्थापित हो चुके हैं।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या—594—ई—5 / ×—2012, दिनांक— 30 जुलाई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( किशन सिंह अटोरिया )  
प्रमुख सचिव।

संख्या—2010(1) / 1—10—12—33(37) / 12/ टी०/ली०/१ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार (लेखा) महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—5
- 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग—10 / राजस्व अनुभाग—6 / 11 / 13 / 14 / राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
- 6— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( किशन सिंह अटोरिया )  
प्रमुख सचिव।